न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 24 / 2021 / दावा 1‌06 एलआरएक्ट

देवेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

--प्रार्थी

व ना म

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

– अप्रार्थी

दावा बाबत उद्घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति--

1. श्री महेन्द्र कुमावत वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य   दिनांक – 31.08. 2021

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियॉ खसरा नम्बर 120, 121 कुल किता 2 कुल रकबा 9.2300 है0 वाके ग्राम सुरेरा पटवार हल्का सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी का हक, हिस्सा 1 / 16 कब्जे, काश्त एवं खातेदारीशुदा है परन्तु उपरोक्त भूमियों में प्रार्थी के हक हिस्से की खातेदारी देवीसिंह पुत्र गोपालसिंह के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम देवेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी सुरेरा है तथा यही प्रार्थी का नाम उसके परिवान राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, पैन कार्ड, बैंक के रिकार्ड, सर्विस रिकार्ड एवं अन्य समस्त दस्तावेजात में दर्ज है तथा हाल ही में दिनांक 06.01.2021 को स्थानीय ग्राम पंचायत सुरेरा द्वारा इस सम्बध मे एक प्रमांण–पत्र भी जारी हुआ है जिसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि देवेन्द्र सिंह व देवी सिंह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में आवेदन की मद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमियों मे प्रार्थी का नाम गलत एव सहवन से देवी सिंह पुत्र गोपाल सिंह गलत अंकित है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम देवेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह है। इस प्रकार उपरोक्त मद संख्या एक की कृषि भूमियों में प्रार्थी के नाम को दुरूस्त करके उसके स्थान पर सही रूप से संशोधित व अद्यापित करते हुए "देवेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह" दर्ज किया जाना अति आवश्यक है एवं इसी हेतु आवेदक को यह आवेदन रिकार्ड संशोधन का पेश किया जाना लाजमी हुआ है। इसके अलावा ग्राम सुरेरा पटवार हल्का सुरेरा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में भूमि ख.नं. 894/818, 898/818, 901/818 किता 3 कुल रकबा 1.5133 है0 में प्राथी का हक हिस्सा 1/4 एवं ग्राम कुडियो की ढाणी पटवार हल्का सुरेरा की तन में कृषि भूमि ख.नं. 912/663, 914/664 किता 2 कुल रकबा 2.2267 है0 में प्रार्थी का हक हिस्सा 1/9 कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा है जिसमें आवेदक का नाम सही रूप से देवेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह ही दर्ज है, परन्तु मद संख्या एक की कृषि भूमियों में देवीसिंह दर्ज है जो गलत है एवं दुरूरत किये जाने योग्य है। यह है कि वाद कारण अरसा करीब 8-10 रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा आवेदक का नाम दुरूरत करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण-प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 120, 121 कुल किता 2 कुल रकबा 9.2300 है0, खसरा नम्बर 894/818, 898/818, 901/818 किता 3 कुल रकबा 1.5133 है0 वाके ग्राम सुरेरा पटवार हल्का सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर तथा भूमि खसरा नम्बर 912/663, 914/664 किता 2 कुल रकबा 2.2267 है0 ग्राम कुडियों की ढाणी पटवार हल्का सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम देवीसिंह के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम देवेन्द्रसिंह दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दातारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम देवीसिंह के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम देवेन्द्रसिंह दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का आद्योपांत अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम सुरेरा ख.नं. 894/818, 898/818, 901/818 किता 3 रकबा 1.5133 ग्राम कुडियों का बास के ख.नं. 912/663, 914/664 किता 1 रकबा 2.2267 है0 में वर्तमान खातेदारी देवेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह दर्ज है। लेकिन ग्राम सुरेरा के खाता संख्या 180 ख.नं. 120, 121 किता 2 रकबा 9.23 है0 में नाम देवी

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

सिंह पुत्र गोपाल सिंह दर्ज है के स्थान पर भी देवेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह करवाना चाहता है जिस बाबत ग्राम पंचायत सुरेरा के प्रमाण- पत्र व रिपोर्ट पटवारी के अनुसार प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत कागजात के आधार पर प्रार्थी का नाम देवी सिंह पुत्र गोपाल सिंह के बजाय देवेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह शुद्ध किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 120, 121 कुल किता 2 कुल रकबा 9.2300 है0, खसरा नम्बर 894/818, 898/818, 901/818 किता 3 कुल रकबा 1.5133 है0 वाके ग्राम सुरेरा पटवार हल्का सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर तथा भूमि खसरा नम्बर 912/663, 914/664 किता 2 कुल रकबा 2.2267 है0 ग्राम कुडियों की ढाणी पटवार हल्का सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम देवीसिंह पुत्र गोपालसिंह के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम देवेन्द्रसिंह पुत्र गोपालसिह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/8/21

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

देवेन्द्रसिंह बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 24 / दावा सन् 2021 निर्णय दिनांक. 31.08.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजेश कुमार मीणा आर.ए.एस बहाजरी श्री महेन्द्र कुमावत मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा **भूमि खसरा नम्बर 120, 121 कुल किता 2 कुल रकबा 9.2300 है0, खसरा नम्बर 894 / 818, 898 / 818, 901 / 818 किता 3 कुल रकबा 1.5133 है0 वाके ग्राम सुरेरा पटवार हल्का सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर तथा भूमि खसरा नम्बर 912 / 663, 914 / 664 किता 2 कुल रकबा 2.2267 है0 ग्राम कुडियों की ढाणी पटवार हल्का सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी का नाम देवीसिंह पुत्र गोपालसिंह के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर देवेन्द्रसिंह पुत्र गोपालसिंह संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.08.2021 को जारी की गई।

31/8/21

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मोहर दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ